पत्रांकः– 07 / स्था०–01–02 / 2025–...............

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

विक्रम विरकर, *भा०प्र०से०*
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेंवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– ....

विषयः **राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारण विभागीय पत्रांक–7 / स्था०–01–02 / 2025–**321**, दिनांक–27.01.2025 द्वारा संसूचित है। RTE Act, 2009 (The Right of children to free and compulsory Education Act, 2009), NEP, 2020 (National Education Policy, 2020) द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि कई विद्यालयों में मानक के अनुसार न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानानुसार प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की वास्तविक नामांकन संख्या, कक्षा संरचना एवं विषय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन में न्यूनतम उपलब्धता का मानक निम्नवत् है :–

शिक्षकों की संख्या	**मान और मानक** **छात्रों की संख्या**	**शिक्षकों की संख्या**
(क) **पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए**	साठ तक	दो
	इकसठ से नब्बे के मध्य	तीन
	इक्यानवे और एक सौ बीस के मध्य	चार
	एक सौ इक्कीस और एक सौ पचास के मध्य	पांच
	एक सौ पचास बालकों से अधिक	पांच अधिक एक प्रधान शिक्षक (छात्र–शिक्षक अनुपात तीस से अधिक नहीं होगा।)

(ख) **छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए**

(1) प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो –

i. विज्ञान और गणित,

ii. सामाजिक अध्ययन,

iii. भाषा (सामान्यतः हिन्दी)।

नोट :– (क) 105 से 140 छात्र–संख्या – अतिरिक्त–चौथे शिक्षक अँग्रेजी विषय के होंगे।

(ख) 140 से 175 छात्र–संख्या – अतिरिक्त–पाँचवे शिक्षक छात्रों की अधिकतानुसार संस्कृत या उर्दू विषय के होंगे।

(ग) 175 से अधिक छात्र–संख्या, आवश्यकतानुसार उपरोक्त बिन्दु–1(ख)(1) के अनुसार।

2. कक्षा 1 से 8 तक के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या निर्धारण में कक्षा 1–5 और कक्षा 6–8 को अलग–अलग शैक्षणिक इकाई मानकर शिक्षक आवश्यकता का आकलन किया जाय, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक रहेंगे।

उपरोक्त पर सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

संख्या–7/स्था०–01–02/2025................ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

संख्या–7/स्था०–01–02/2025................ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

संख्या–7/स्था०–01–02/2025................ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

संख्या–7/स्था०–01–02/2025 1936 **पटना, दिनांक** 22/06/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा